



मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)—462 011

ज्ञापन क्र. एफ-64-2/09/जीन/1260

दिनांक... 17/11/2009

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला-बैतूल।

विषय: राजस्व विभाग के अन्तर्गत पटवारी चयन परीक्षा, 2008 में रिजल्ट में विसंगति के कारण व्यापम द्वारा संशोधित रिजल्ट के अनुसार पटवारियों को चयनित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ: आपका कमांक— एल. आर. 5/09/2144, दिनांक 13/11/2009.

संदर्भित पत्र के तारतम्य में निर्देशानुसार अवगत कराया जाता है कि आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील रहते हुए पटवारियों के नियुक्त आदेश जारी न किये जायें।

2/ संयुक्त कलेक्टर, बैतूल से दूरभाष पर हुई चर्चा के अनुक्रम में यदि पटवारियों को, प्रशिक्षण हेतु संभागीय मुख्यालय भेजा जाना है तो प्रशिक्षण हेतु चयनित पटवारियों को संभागीय मुख्यालय भेजा जा सकता है।

Dajm

(अनुपम राजन)

सचिव,

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग

पृष्ठांकन कमांक: एफ 64-2/09/जीन/1261 भोपाल, दिनांक 17/11/2009

प्रतिलिपि: 1. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
2. समस्त, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Dajm

(अनुपम राजन)

सचिव,

म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग